उत्तर प्रदेश शासन

पंचायती राज अनुभाग-1

संख्या-2/2022/2543(1)/33-1-2022-2619/13

लखनऊ दिनाँक 06 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना संख्या-2543/33-1-2022, दिनाँक 06 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग अपर जिला पंचायत राज अधिकारी/ अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक)/ अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) सेवा नियमावली, 2022 (हिन्दी रूपान्तर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की (हिन्दी/अंग्रेजी) की 02 प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर नियमावली की 2000 प्रतियाँ पंचायती राज अनुभाग-1 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. कम्प्यूटर सहायक को इस आशय से कि इसे शासनादेश की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. गार्ड फाइल।

<u>संलग्नक:- यथोक्त।</u>

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2543/33-1-2022 dated 06-12-2022

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PANCHAYATI RAJ SECTION-1
NOTIFICATION
Miscellaneous
No. 2543/33-1-2022
Lucknow, Dated: 06-12-2022

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Panchayati Raj Department Additional District Panchayat Raj Officer/ Additional District Panchayat Raj Officer (Technical)/Additional District Panchayat Raj Officer (Panchayat udyog) Service.

THE UTTAR PRADESH PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT ADDITIONAL DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICER/ ADDITIONAL DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICER (TECHNICAL)/ ADDITIONAL DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICER (PANCHAYAT UDYOG) SERVICE RULES, 2022

PART-1-GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Panchayati Raj Department Additional District Panchayat Raj Officer/ Additional District Panchayat Raj Officer (Technical)/Additional District Panchayat Raj Officer (Panchayat udyog) Service Rules, 2022.
(2)They shall come into force at once.

Status of the service

2. The Uttar Pradesh Panchayati Raj Department Additional District Panchayat Raj Officer/ Additional District Panchayat Raj Officer (Technical)/Additional District Panchayat Raj Officer (Panchayat udyog) Service is a Service comprising Group 'B' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) 'Appointing Authority' means the Director, Panchayati Raj Uttar Pradesh;
(b) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
(c) 'Constitution' means the Constitution of India;
(d) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;
(e) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;
(f) "member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;
(g) 'service' means the Uttar Pradesh Panchayati Raj Additional District Panchayat Raj Officer/ Additional District Panchayat Raj Officer

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(Technical)/Additional District Panchayat Raj Officer (Panchayat udyog) Service;

(h) 'substantive appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(i) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year;

PART-II-CADRE

Cadre of service

4. (1)The strength of the service and of each category of post there in shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

(2)The strength of the service and of each category of posts there in shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given below.

Name of the post	Number of posts		
	Permanent	Temporary	Total
Additional District Panchayat Raj Officer	-	63	63
Additional District Panchayat Raj Officer (Technical)	-	08	08
Additional District Panchayat Raj Officer (Panchayat udyog)	-	04	04
Total-	-	75	75

Provided that:-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III-RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:

	name of the post		
1-	Additional District Panchayat Raj Officer	-	By promotion through the Departmental selection committee from amongst substantively appointed Assistant Development Officer (Panchayat) who have completed twelve years service as such on the first day of the year of recruitment.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2-	Additional District Panchayat Raj Officer (Technical)	-	By promotion through the Departmental selection committee from amongst substantively appointed Assistant District Panchayat Raj Officer (Technical), who have completed seven years of service as such on the first day of the year of recruitment.
3-	Additional District Panchayat Raj Officer (Panchayat udyog)	-	By promotion through the Departmental selection committee from amongst substantively appointed Panchayat Nirikshak (Udyog), who have completed twelve years of service as such on the first day of the year of recruitment.

PART-IV-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

6. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment.

Procedure for recruitment by Promotion

7. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee For Posts outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

NOTE-Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules. 1986, as amended from the time to time, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2).

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

PART-V-APPOINTMENT AND SENIORITY

APPOINTMENT **8.** (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 7.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

SENIORITY **9.** The Seniority of persons substantively appointed to the post of Additional District Panchayat Raj Officer/ Additional District Panchayat Raj Officer (Technical)/ Additional District Panchayat Raj Officer (Panchayat udyog) in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART-VI-PAY ETC.

Pay Scale **10.** (1) The scale of pay admissible to persons appointed to a post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given as follows:-

Name of the post	Scale of Pay
Additional District Panchayat Raj Officer	**- Pay Matrix Level-7, Rs 44900-142400**
Additional District Panchayat Raj Officer (Technical)	**- Pay Matrix Level-7, Rs 44900-142400**
Additional District Panchayat Raj Officer (Panchayat udyog)	**- Pay Matrix Level-7, Rs 44900-142400**

PART-VII-OTHER PROVISIONS

Canvassing **11.** No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules, applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters **12.** In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed, to the service shall be governed by the rules, regulations and orders, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

http://shasanadesh.up.gov

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Relaxation from the conditions of service

13. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

14. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order.

(MANOJ KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश सरकार
पंचायती राज अनुभाग-1
संख्या-2543/33-1-2022
लखनऊ, दिनाँक : 06.12.2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पंचायतीराज विभाग **अपर जिला पंचायत राज अधिकारी/ अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक)/ अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) सेवा** में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज विभाग अपर जिला पंचायत राज अधिकारी/ अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) / अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) सेवा नियमावली, 2022

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायतीराज विभाग अपर जिला पंचायत राज अधिकारी/ अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक)/ अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) सेवा नियमावली, 2022 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2- उत्तर प्रदेश पंचायतीराज विभाग अपर जिला पंचायत राज अधिकारी/ अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) / अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) सेवा में समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3- जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश से है;

(ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ग) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(घ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(ड़) 'राज्यपाल' का तात्पर्य राज्यपाल उत्तर प्रदेश से है;

(च) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(छ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अपर जिला पंचायत राज अधिकारी/ अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) / अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) सेवा से है;

(ज) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(झ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4- (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है :-

पद का नाम	**पदों की संख्या**		
	स्थायी	**अस्थाई**	**योग**
अपर जिला पंचायत राज अधिकारी	**-**	**63**	**63**
अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक)	**-**	**8**	**8**
अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग)	**-**	**4**	**4**
योग-		**75**	**75**

परन्तु यह कि-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकती हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत 5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :

पदनाम		
1- अपर जिला पंचायत राज अधिकारी	-	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में बारह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
2- अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक)	-	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

3- अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग)	-	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पंचायत निरीक्षक (उद्योग) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में बारह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

भाग-चार-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 6- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 7- (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदंड नियमावली, 1994 में अधिकथित मानदण्ड के आधार पर की जायेगी।

टिप्पणी- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन कृत आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूची, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम, जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो, में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी

भाग-पाँच-नियुक्ति और ज्येष्ठता

नियुक्ति 8- (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 7 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्त करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसाकि, यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो, या उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ज्येष्ठता 9- सेवा में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी/अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक)/अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-छः वेतन इत्यादि

वेतनमान 10- (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसाकि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नानुसार दिये गये हैं:-

पद का नाम	वेतनमान
अपर जिला पंचायत राज अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-7, रु.44900-142400
अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक)	वेतन मैट्रिक्स लेवल-7, रु.44900-142400
अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग)	वेतन मैट्रिक्स लेवल-7, रु.44900-142400

भाग-सात-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 11- किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 12- ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों द्वारा आच्छादित न हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलता 13- जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति 14- इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव, ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in